रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एम.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 95] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 1982/चैत्र 8, 1904
No. 95] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 1982/CHAITRA 8, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1982

सा०का०नि० 271.(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं०आ० 116

संविधान (राजस्व-वितरण) आदेश, 1982

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व-वितरण) आदेश, 1982 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबन्धों के अनुसार, 1 अप्रैल, 1981 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, निम्नलिखित राशि को भारत की संचित निधि पर प्रभारित किया जाएगा,—

(क) नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्व के सहायता-अनुदान के रूप में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) से (6) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशि को उन स्तम्भों में उल्लिखित सेक्टरों के प्रशासन और सेवाओं से संबंधित मानकों के उन्नयन के लिए कार्यक्रमों पर राजस्व और पूंजीगत प्रकृति के व्यय मदें :

सारणी

(लाख रुपएमें)

राज्य	निम्नलिखित से संबंधित मानकों के उन्नयन के लिए				
	न्यायिक प्रशासन	पुलिस प्रशासन	जेल प्रशासन	राजस्व जिला और जनजाति प्रशासन	स्टाम्प रजिस्ट्रीकरण और लेखा परीक्षण
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	20.12	431.25	—	57.00	—
असम	18.31	261.62	—	51.05	—
बिहार	24.00	602.74	127.08	484.00	19.58
हिमाचल प्रदेश	0.82	112.67	—	17.54	8.00
जम्मू-कश्मीर	1.00	—	11.50	58.94	—
केरल	—	60.00	—	13.00	—
मध्य प्रदेश	4.01	743.40	112.63	428.00	—
मणिपुर	0.80	—	7.80	147.00	—
मेघालय	—	92.88	16.66	50.50	—
नागालैण्ड	28.00	100.00	—	—	—
उड़ीसा	15.16	261.54	89.45	355.47	—
राजस्थान	16.60	427.49	5.00	49.50	34.00
सिक्किम	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	—	173.57	210.82	17.03	—
त्रिपुरा	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	73.30	2028.93	283.55	7.40	18.78
पश्चिमी बंगाल	3.70	79.78	—	52.50	—

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशि, सेक्टरों के प्रशासन और सेवाओं के संबंध में मानकों के उन्नयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों पर व्यय की जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर किया गया वास्तविक व्यय, जैसा कि उस वर्ष के लेखाओं से प्रकट होता है, उस प्रशासन के सामने ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम से कम है तो इस प्रकार अधिक संवत्त रकम किसी अन्य राशि या राशियों के विरुद्ध, जो उसी प्रयोजन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में उस राज्य को संदेय हो जाए, समायोजित की जाएगी;

(ख) नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशि को, संविधान (राजस्व संवितरण) आदेश, 1981 के अधीन शुद्ध ब्याज दायित्व मद्दे संवत्त अनुदान को हिसाब में लेने के पश्चात इस निमित्त वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शुद्ध ब्याज दायित्व मद्दे, 1 अप्रैल, 1980 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में उल्लिखित राज्यों में से प्रत्येक राज्य के नए उधारों और ऋणों मद्दे :

सारणी

राज्य	लाख रुपये में
(1)	(2)
हिमाचल प्रदेश	39.15
जम्मू-कश्मीर	679.06
मणिपुर	36.68
मेघालय	22.45
नागालैण्ड	76.28
उड़ीसा	727.04
सिक्किम	54.25
त्रिपुरा	30.28

परन्तु यदि वास्तविक उधार और ऋण के आंकड़े जैसा कि उस वर्ष के लेखाओं से प्रकट होता है, या उधार पर ब्याज की दरें, ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान के अवधारण में हिसाब में लिए गए सुसंगत आंकड़ों से भिन्न हों तो इस प्रकार संवत्त अनुदान की रकम किसी ऐसी राशि या राशियों के प्रति, जो उसी प्रयोजन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में उस राज्य को संदेय हो जाए, समायोजित की जाएगी/जाएंगी।

(2) 1 अप्रैल, 1981 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में उपपैरा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन किसी राज्य को संदेय कोई राशि या राशियां उस राज्य को संदेय उस राशि या उन राशियों के अतिरिक्त होगी/होंगी जो उस वित्तीय वर्ष में संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1979 के पैरा 4 के उप पैरा (1) के अनुसरण में उस राज्य को संदेय है/हैं।

एन० संजीव रेड्डी,
राष्ट्रपति।"

[सं० एफ० 19(1)/82-एल० आई०]
रु० वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1982

G.S.R. 271(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

"C.O.116

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 1982

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1982.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1981, as grants-in-aid of the revenues of—

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (6) of the said Table, towards expenditure, of revenue and capital nature, on programmes for upgradation of standards relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns:—

TABLE

State	For upgradation of standards relating to: Judicial administration	Police administration	Jail administration	Revenue, District and Tribal administrations	Stamps, Registration and Treasury administrations
	(Rs. in lakhs)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Andhra Pradesh	20.12	431.25	..	57.00	..
Assam	18.31	261.62	..	51.05	..
Bihar	24.00	602.74	127.08	484.00	19.58
Himachal Pradesh	0.82	112 67	..	17.54	8.00
Jammu and Kashmir	1.00	..	11.50	58.94	..
Kerala	..	60.00	..	13.00	..
Madhya Pradesh	4.01	743.40	112.63	428.00	..
Manipur	0.80	..	7.80	147.00	..
Meghalaya	..	92.88	16.66	50.50	..
Nagaland	28.00	100.00	..	..	..
Orissa	15.16	261.54	89.45	355.47	..
Rajasthan	16.60	427.49	5.00	49.50	34.00
Sikkim	..	..	..	..	..
Tamil Nadu	..	173.57	210.82	17.03	..
Tripura	..	..	..	..	..
Uttar Pradesh	73.30	2028.93	283.55	7.40	18.78
West Bengal	3.70	79.78	..	52.50	..

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgrading the standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by the Central Government.

Provided further that if the actual expenditure on such approvedprogramme or programmes relating to any administration,

as revealed in the accounts of that year, is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose;

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the Table towards net interest liability on account of fresh borrowings and lendings of each of those States, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1980, after taking into account the grants paid towards net interest liability under the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1981 as per the recommendations of the Finance Commission in this regard:—

TABLE

State (1)	(Rs. in lakhs) (2)
Himachal Pradesh	39.15
Jammu and Kashmir	679.06
Manipur	36.68
Meghalaya	22.45
Nagaland	76.28
Orissa	727.04
Sikkim	54.25
Tripura	30.28

Provided that if the figures of actual borrowings and lendings as revealed in the accounts of that year, or the rates of interest on borrowings are different from the relevant figures taken into account in determining the grants specified above, the amount of grant so paid shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under clauses (a) and (b) of sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1981, shall be in addition to the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1979.

N. SANJIVA REDDY,
President."

[No. F. 19(1)/82-L.I.]

R. V. S. PERI SASTRI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982